



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या— 1866, 1867, 1868, 1869 व 1870/2015.....जिला.....जोधपुर.....

उनवान—मै0 सनसिटी एलायज (प्रा.) लि0, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत—तृतीय, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए,
15.02.2016	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री मनोहर पुरी—सदस्य श्री ईश्वरी लाल वर्मा—सदस्य</p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री दिवाकर गोयल बिजनेस मैनेजर एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के अभिभाषक श्री एन.एम.मेडतिया ने विद्वान करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2016 को प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी के अभिभाषक ने निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही एमनेस्टी स्कीम के तहत छूट का लाभ उठाने हेतु विचाराधीन अपीलों को आगे नहीं चलाकर विद्वान करना चाहते हैं। अतः उक्त अपीलों को विद्वान किये जाने के आदेश प्रदान करावे।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपीलों को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>अतः प्रस्तुत उपरोक्त अपीलों जरिये विद्वान (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">               (ईश्वरी लाल वर्मा)              सदस्य         </div> <div style="text-align: center;">               ( मनोहर पुरी )              सदस्य         </div> </div>	